न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 13/2022 तारीख रजू 13.09.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. लोकेश साहू पुत्र श्री राजकुमार साहू निवासी केशव नगर नीलकण्ठ महादेव के पीछे, सवाई माधोपुर (विक्रेता) फर्म–साहू मिष्ठान भण्डार, पुरानी सब्जी मण्डी के पास, बजरिया सवाई माधोपुर
2. सोनी देवी साहू पत्नी श्री दौलतराम साहू (मालिक) मैसर्सः साहू मिष्ठान, पुरानी सब्जी मण्डी के पास, बजरिया सवाई माधोपुर, निवासी केशव नगर नीलकण्ठ महादेव के पीछे, सवाई माधोपुर

.........अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51

निर्णयः– **दिनांक** 31/1/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 12.03.2022 को समय दोपहर 01.30 पी.एम. पर मैसर्स साहू मिष्ठान भण्डार, पुरानी सब्जी मण्डी के पास, बजरिया सवाई माधोपुर पर पहुंचा। मौके पर मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम लोकेश साहू पुत्र श्री राजकुमार साहू निवासी केशव नगर नीलकण्ठ महादेव के पीछे, सवाई माधोपुर (एफबीओ व मालिक) फर्म– साहू मिष्ठान भण्डार, पुरानी सब्जी मण्डी के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर बताया एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022 रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा तो उसने खाद्य रजिस्ट्रेशन संख्या 22218067000151 मौके पर दिखाया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य वस्तु पनीर 5 किलो फ्रीजर में बिक्री हेतु रखा हुआ था, को देखने पर मिलावटी होनें का शक होने पर उक्त पनीर का नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उक्त 5 किलोग्राम पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 350/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य वस्तु 01 किलो पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाल कर प्रत्येक बोतल में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाइट बन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग–अलग मोटे

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:46 IST
Reason: SelfAttested

खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **एच–2310** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे लोकेश साहू पुत्र श्री राजकुमार साहू ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक बुद्धिप्रकाश मीना वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गयी, दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/22/792 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1364/एक्ट/2022/1397 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य वस्तु **पनीर सबस्टेण्डर्ड** (Substandard) पाया गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने खाद्य वस्तु **पनीर सबस्टेण्डर्ड** (Substandard) का निर्माण एवं विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने खाद्य वस्तु **पनीर सबस्टेण्डर्ड** (Substandard) का निर्माण एवं विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से **पनीर** का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा **सबस्टेण्डर्ड** (Substandard) प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण अज्ञानतावश उक्त अपराध हुआ है। भविष्य में दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेंगा। प्रार्थी को न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:46 IST
Reason: SelfAttested

ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1364/एक्ट/2022/1397 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु **पनीर सबस्टेण्डर्ड** (Substandard) (अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा भी बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। अभियुक्त द्वारा प्रथम बार उक्त अपराध कारित किया गया है।

अतः अभियुक्तगण को **सबस्टेण्डर्ड** (Substandard) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु पनीर** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 1 लगा0 2 पर **20,000/—रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर—अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:46 IST
Reason: SelfAttested